न्यायालय– सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला– पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या– 03/2019
तारीख अंतिम निर्णय/डिक्री– 30/09/2022

वादीगण–

1– मनेष कुमार पुत्र भेरारामजी, जाति– नारायक, निवासी–सिन्दरली, तहसील– देसूरी,
2– मूली देवी पत्नि देवीदासजी,
3– बाबूदास पुत्र देवीदासजी,
4– प्रेमदास पुत्र देवीदासजी, जातिगण– भांबी, निवासीगण– सिन्दरली, तहसील– देसूरी, जिला– पाली

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1– कपूराराम पुत्र भीकाजी,
2– शिवलाल पुत्र भीकाजी,
3– राधेश्याम पुत्र देवारामजी,
4– तुलसीराम पुत्र गुमनारामजी,
5– छगनलाल पुत्र गुमनारामजी,
6– मदनदेवी पत्नि गोपालजी,
7– निर्मल कुमार पुत्र गोपालजी,
8– तरूणा पुत्री गोपालजी,
9– विमला पुत्री गोपालजी,
10– सत्यवती पुत्री गोपालजी तमाम जातिगण गारो, निवासीगण– सिन्दरली, तहसील– देसूरी, जिला– पाली
11– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी।

–: वाद अन्तर्गत धारा– 53, 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 2 पर.........

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उपस्थिति—

1— श्री शंकरलाल मीणा अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

2— श्री मनोहरदास अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 की ओर से।

3— प्रतिवादी संख्या—1, 7 से 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

—: निर्णय :— **दिनांक—30/09/2022**

(अंतिम डिक्री)

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि— वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा— 53, 88 188 राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955 के तहत इस इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर जाहिर किया कि मौजा ग्राम— सिन्दरली, तहसील— देसूरी, जिला— पाली मे स्थित आराजी खसरा नम्बर— 785 रकबा— 6.6000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपयां— 46.20 रूपये है। जिसमे वादी संख्या—1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या—2 से 4 का 1/4 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/12+1/12+1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या—1 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या—3 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/50 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/50 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/50 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/50 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/50 वां हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 मे विद्यमान है। प्रति पेश है। वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है, जिसका वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा नही हुआ है। मौके पर वादीगण का माफिक खातेदारी के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। बंटवाडा नही होने से उनके हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने पर आमादा है। जमीन खुर्द बुर्द करने पर आमादा है व विशेष भू—भाग की जमीन पर काश्त करने पर आमादा है जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड

.....क्रमशः पेज— 3 पर.........

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बाउण्ड बंटवाडा खातेदारी हिस्सा माफिक बंटवाडा करवाकर खाते अलग कर लगान का भी बंटवाडा चाहते है। वादीगण ने प्रसतिवादीगण संख्या 1 से 10 को बंटवाडा हेतु कई बार कहने के बावजूद तैयार व सहमत नही होने से वादीगण कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कराये जाने हेतू धरा– 53 आर0टी0एक्ट के तहत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर रहे है। प्रतिवादीगण अजनबी केता को विशेष भू–भाग की जमीन बेचान, हस्तांतरण, अन्तरण करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य को रोका जाना आवश्यक है अन्यथा वादीगण को अकथनीय क्षति होगी, जिससे वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद धारा– 88, 188 आर0टी0एक्ट के तहत भी पेश है एवं प्रतिवादीगण की की जाति गारो है जबकि राजस्व रेकर्ड में भांबी दर्ज कर दी गई है, जिससे राजस्व रेकर्ड मे गारो दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे। वादीगण ने उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम– सिन्दरली, तहसील– देसूरी, जिला– पाली मे स्थित आराजी खसरा नम्बर– 785 रकबा– 6.6000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपयां– 46.20 रूपये है। जिसमे वादी संख्या–1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या–2 से 4 का 1/4 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/12+1/12 +1/12 = 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–1, 2 व 3 का 1/10 + 1/10 + 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/20 + 1/20 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 लगाय 10 का 1/50 + 1/50 + 1/50 + 50 + 1/50 वां हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करवाया जाकर वादीगण के बंट वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2, 3 व 4 का 1/12+1/12 +1/12 = 1/4 हिस्सा की आराजियात का उनके खातेदारी के हिस्सा अनुसार अलग बंट किया जाकर अलग अलग खता खोला जावे एवं उसी अनुसार राजस्व लगान का भी अलग निर्धारण किया जावे एवं नक्शे मे भी तरमीम किया जावे व जाति का सुधार किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर [illegible] मे कब्जा काश्त मे

......क्रमशः पेज– 4 पर.........

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

दखलंदाजी हस्तक्षेप करने से रोका जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई के प्रकरण हाजा मे न्यायालय द्वारा दिनांक– 22/10/2021 को निर्णय पारित किया जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करवाये जाने हेतू प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं प्राथमिक डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार, देसूरी का वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य इनके खातेदारी हिस्सानुसार मौके पर नियमानुसार नाप चौक कर बाई मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवाड कर पृथक पुथक बंट कर नक्शा मे पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुए बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा के इस न्यायालय को तीन प्रतियो मे भिजवाने हेतू आदेश पारित किया गया।

प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

बंटवाडा प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षकार को सुना गया। वकील वकुलाय उभय पक्षकार बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है एवं बंटवाडा प्रस्तात के संबंध मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर करते हुए माफिक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद मे अंतिम डिक्री सादिर किये जाने का निवेदन किया गया। अतः माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिक्री योग्य न्याय संगत मानती हूँ।

—: आदेश :—

अतः मौजा ग्राम– सिन्दरली, तहसील– देसूरी, जिला– पाली मे स्थित आराजी खसरा नम्बर– 785 रकबा– 6.6000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपयां– 46.20 रूपये की माफीक तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अंतिम निर्णय डिक्री निम्न

क्रमशः पेज– 5 पर.........

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार सादिर की जाती है :—

(1)— मनेष कुमार पुत्र भेराराम हि.पूर्ण जाति— नायक सा. देह खातेदार रहिन यूको बैंक, सादडी—

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
785/1	1.6500 हैक्टेयर	बा.अ.	11.55
कुल खसरा—1	1.6500 हैक्टेयर	बा.अ.	11.55

(2)— प्रेमदास पुत्र देवीदास हि. 1/3, बाबुदास पुत्र देवीदास हि. 1/3, मूली देवी पत्नि देवीदास हि. 1/3, जातिगण भांबी सा. देह खातेदार। रहिन एसबीबीजे शाखा— सादडी—

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
785/2	1.6500 हैक्टेयर	बा.अ.	11.55
कुल खसरा—1	1.6500 हैक्टेयर	बा.अ.	11.55

(3)— कपूराराम पुत्र भीका हि. 1/5 रहिन यूको बैंक शाखा— सादडी, छगनलाल पुत्र गुमनाराम हि. 1/10, तरूणा पुत्री गोपाल हि. 1/25, तुलसीराम पुत्र गुमनाराम हि. 1/10, निर्मलकुमार पुत्र गोपाल हि. 1/25, मदनदेवी पत्नि गोपाल हि. 1/25, राधेश्याम पुत्र देवाराम हि. 1/5, विमला पुत्री गोपाल हि. 1/25, शिवलाल पुत्र भीका हि. 1/5 रहिन यूको बैंक, सादडी, सत्यवती पुत्री गोपाल हि. 1/25, जातिगण— भांबी सा.देह खातेदार—

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः पेज— 6 पर.........

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
785/3	3.3000 हैक्टेयर	बा.अ.	23.10
कुल खसरा—1	3.3000 हैक्टेयर	बा.अ.	23.10

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिक्री सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस निर्णय डिक्री का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार' राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे। तदनुरूप अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
सहायक कलेक्टर, देसूरी

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक— 30/09/2022 को खुले न्यायालय मे को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
सहायक कलेक्टर, देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

राजस्व मूल वाद संख्या– 03/2019

वादीगण–

1– मनेष कुमार पुत्र भेरारामजी, जाति– नारायक, निवासी–सिन्दरली, तहसील– देसूरी,

2– मूली देवी पत्नि देवीदासजी,

3– बाबूदास पुत्र देवीदासजी,

4– प्रेमदास पुत्र देवीदासजी, जातिगण– भांबी, निवासीगण– सिन्दरली, तहसील– देसूरी, जिला– पाली

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1– कपूराराम पुत्र भीकाजी,

2– शिवलाल पुत्र भीकाजी,

3– राधेश्याम पुत्र देवारामजी,

4– तुलसीराम पुत्र गुमनारामजी,

5– छगनलाल पुत्र गुमनारामजी,

6– मदनदेवी पत्नि गोपालजी,

7– निर्मल कुमार पुत्र गोपालजी,

8– तरूणा पुत्री गोपालजी,

9– विमला पुत्री गोपालजी,

10– सत्यवती पुत्री गोपालजी तमाम जातिगण गारो, निवासीगण– सिन्दरली, तहसील– देसूरी, जिला– पाली

11– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी।

–क्रमशः पेज– 2 पर.........

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

–: वाद अन्तर्गत धारा– 53, 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 :–

मुकदमा नम्बर– राजस्व मूल वाद संख्या– 03/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री शंकरलाल मीणा मिनजानिब मुद्धईयान व वकील श्री मनोहरदास मुद्धायलाहीम सं0– 2 से 6 ++ पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि– अतः मौजा ग्राम– सिन्दरली, तहसील– देसूरी, जिला– पाली मे स्थित आराजी खसरा नम्बर– 785 रकबा– 6.6000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपयां– 46.20 रूपये की माफीक तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अंतिम निर्णय डिकी निम्न प्रकार सादिर की जाती है :–

(1)– मनेष कुमार पुत्र भेराराम हि.पूर्ण जाति– नायक सा. देह खातेदार रहिन यूको बैंक, सादडी–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
785/1	1.6500 हैक्टेयर	बा.अ.	11.55
कुल खसरा–1	1.6500 हैक्टेयर	बा.अ.	11.55

(2)– प्रेमदास पुत्र देवीदास हि. 1/3, बाबुदास पुत्र देवीदास हि. 1/3, मूली देवी पत्नि देवीदास हि. 1/3, जातिगण भांबी सा. देह खातेदार। रहिन एसबीबीजे शाखा– सादडी–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः पेज– 3 पर........

785/2	1.6500 हैक्टेयर	बा.अ.	11.55
कुल खसरा–1	1.6500 हैक्टेयर	बा.अ.	11.55

(3)– कपूराराम पुत्र भीका हि. 1/5 रहिन यूको बैंक शाखा– सादडी, छगनलाल पुत्र गुमनाराम हि. 1/10, तरूणा पुत्री गोपाल हि. 1/25, तुलसीराम पुत्र गुमनाराम हि. 1/10, निर्मलकुमार पुत्र गोपाल हि. 1/25, मदनदेवी पत्नि गोपाल हि. 1/25, राधेश्याम पुत्र देवाराम हि. 1/5, विमला पुत्री गोपाल हि. 1/25, शिवलाल पुत्र भीका हि. 1/5 रहिन यूको बैंक, सादडी, सत्यवती पुत्री गोपाल हि. 1/25, जातिगण– भांबी सा.देह खातेदार–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
785/3	3.3000 हैक्टेयर	बा.अ.	23.10
कुल खसरा–1	3.3000 हैक्टेयर	बा.अ.	23.10

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिक्री सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस निर्णय डिक्री का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद व शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....++ ....को अदा

क्रमशः पेज– 4 पर.........

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी

करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख– 30 माह 09 सन् 2022

मोहर

दस्तखत सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

औहदा..................

मुद्दई	रूपयां पैसा	मुद्दायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested